कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।

संख्या- 750(1)/दै0आ0लि0-2020

दिनांक- 11.11.2020

प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-730/एक-10-2020-12 (34)/03 टीसी-1 राजस्व अनुभाग-10 दिनांक 03.11.2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में शीतलहरी/ठण्ड/पाला के दौरान निराश्रित/असहाय/ कमजोर/गरीब व्यक्तियों/परिवारों को राहत पहुंचाने हेतु जेम पोर्टल से खुली निविदा के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। तत्क्रम में शासनादेश 732/एक-10-12 (34)/2003 टीसी-1 दिनांक 05.11.2020 द्वारा कम्बल क्रय करने हेतु रू0 25-00 लाख का धनावंटन जनपद पीलीभीत को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 05.11.2020 के अन्तर्गत जेम पोर्टल से खुली निविदा के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने हेतु कमेटी गठित की जा चुकी है। कम्बल क्रय हेतु प्राप्त धनावंटन रू0 25-00 लाख के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 07-11-2020 के अनुपालन में जेम पोर्टल पर दिनांक 10-11-2020 को खुली निविदा अपलोड की जा चुकी है, जो दिनांक 17-11-2020 की सायं 4:30 बजे खोली जायेगी। तदोपरान्त शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08.04.2015 द्वारा जारी निम्नवत गाइड लाइन के अन्तर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने हैं।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति शासनादेश के प्रस्तर-2 में वर्णित गुणवत्ता के कम्बलों का क्रय जेम पोर्टल से किये जाने के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्णकर समय से क्रय करेगी। निर्धारित मानक के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति करने में असफल होने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध समिति नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

जनपद पीलीभीत की पांचों तहसीलों में कम्बलों की आपूर्ति हेतु गर्वनमेन्ट ई-मार्केटप्लस(जेम पोर्टल) से क्रय किये जाने हेतु पोर्टल पर रजिस्टर्ड इकाईयों/संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है। जो निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत दि0 10.11.2020 से 17.11.2020(समय सायं 4:00 बजे) तक प्रतिभाग कर सकती हैं। दिनांक 17.11.2020 को सायं 4:30 बजे तकनीकी क्रय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में लिये गये निर्णयानुसार ही कम्बल क्रय की कार्यवाही की जायेगी। जेम पोर्टल पर आमंत्रित खुली निविदा में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों/संस्थाओं द्वारा निम्नवत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है :-

1- उपरोक्त शासनादेश सं0-730/एक-10-2020-12 (34)/03 टीसी-1 राजस्व अनुभाग-10 दिनांक 03.11.2020 में वर्णित व्यवस्थानुसार के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले कम्बलों की दर अधिकतम रू0 500/- प्रति कम्बल, कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिये। इन कम्बलों में ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत निर्धारित है तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए। कय किये जाने वाले कम्बलों की शासनादेशानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

2- उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपीका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) भी जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर कम्बल की खुली निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं।

3- संबंधित इकाईयां/संस्थायें शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार टेन नम्बर, पेन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर आदि समस्त आवश्यक अभिलेख(स्वप्रमाणित) कम्बल क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

4- जेम पोर्टल पर कम्बल की टैक्निकल बिड लोड करने के उपरान्त संबंधित इकाईयां/संस्थायें शासनादेश में वर्णित मानकों के अनुरूप अपनी दरों का नमूना कम्बल प्रस्तुत करेंगी। नमूना कम्बल तथा आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल पर संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिये नहीं है। तकनीकी निविदा खोले जाने से पूर्व नमूना कम्बल प्रस्तुत न करने वाली संस्थाओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

5- संबंधित इकाईयों/संस्थाओं को कम्बल की प्रस्तुत दरों में ही एस0जी0एस0टी0,सी0जी0एस0टी0, आयकर व अन्य कर एवं समस्त शासकीय देयों का भुगतान करना होगा तथा जनपद की सभी तहसील मुख्यालयों को कम्बलों की आपूर्ति करनी होगी, जिसका मार्ग व्यय आपूर्तिकर्ता संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

6- आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उक्त मानक के अनुरूप ही नमूना एवं कम्बलों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में उसके विरूद्ध विधिक/काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7- उक्त निविदा को किसी भी समय पूर्व सूचना के स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी, पीलीभीत में निहित होगा।

8- किसी भी प्रकार के विवाद निस्तारण हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद पीलीभीत रहेगा।

9- संबंधित इकाईयां/संस्थाओं को इस आशय का नोटरी शपथ पत्र अपने अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत नमूना कम्बलों के अनुसार आपूर्ति नहीं की गई तो उनको निर्गत आपूर्ति आदेश निरस्त करने तथा किसी भी स्थिति में हुई राजस्व क्षति को उनसे वसूल किये जाने में संबंधित इकाईयों/संस्थाओं को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11/11/2020

(अतुल सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि/रा),
पीलीभीत।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

1- प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- कम्बल क्रय समिति जनपद पीलीभीत के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

3- जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साइज में प्रकाशन कराने के उपरान्त जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत से दरों का सत्यापन कराते हुये बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

11/11/2020

अपर जिलाधिकारी(वि/रा),
पीलीभीत।